उत्तर प्रदेश शासन
धर्मार्थ कार्य विभाग
संख्या-3/2017/196/57-2017-7(3)/2015 टी0सी0-1
लखनऊः दिनांकः 10 अप्रैल, 2017

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

वित्तीय वर्ष 2017-18 में श्री कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा करने वाले उ0प्र0 राज्य के मूल निवासियों को राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के संबंध में धर्मार्थ कार्य विभाग की विज्ञप्ति/प्रकीर्ण संख्या-2/2017/195/57-2017-7(3)/2015 टी0सी0-1 दिनांकः 10 अप्रैल, 2017 में प्राविधानित प्रतिबन्धों एवं शर्तो के अधीन उक्त विज्ञप्ति/प्रकीर्ण में निर्धारित प्रारूप पर उ0प्र0 के मूल निवासियों को राज्य सरकार की ओर से दिये जाने वाले आर्थिक अनुदान हेतु श्री कैलाश मानसरोवर यात्रियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

1- भारत सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा में शामिल होने वाले यात्रियों के अतिरिक्त व्यक्तिगत स्रोतों से अथवा प्राइवेट ट्रेवल एजेन्सी द्वारा यात्रा करने वाले उ0प्र0 के मूल निवासी व्यक्ति हों तथा वर्तमान में भी प्रदेश में निवास कर रहे हों, को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रू0-1,00,000/- (एक लाख) की धनराशि, अनुदान स्वरूप दी जायेगी, जिसमें आवेदक द्वारा सक्षम स्तर से निर्गत निवास प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2- अनुदान भारत सरकार द्वारा यात्रा में सम्मिलित होने वाले यात्रियों के अतिरिक्त अपने व्यक्तिगत स्रोतों से तथा प्राइवेट ट्रेवल एजेन्सी के माध्यम से यात्रा पूर्ण करने वाले यात्रियों को देय होगी।

3- अनुदान की धनराशि यात्रा के पहले प्रदान की जायेगी।

4- जीवन काल में किसी यात्री को एक बार ही अनुदान दिया जायेगा।

5- किसी यात्री की मृत्यु होने की दशा में पत्नी/पति या आश्रित के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर अनुदान की प्रतिपूर्ति हेतु विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

6- आवेदक द्वारा निम्नलिखित प्रारूप पर अपना आवेदन प्रमुख सचिव, धर्मार्थ कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन, कक्ष संख्या-105 प्रथम तल बापू भवन, लखनऊ को डाक के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगाः-

नवनीत सहगल
प्रमुख सचिव।

1- यात्री का नामः-

2- पिता/पति का नामः-

3- व्यवसायः-

4- निवास स्थान का पूर्ण पताः-
(दूरभाष क्रमांक हो तो)

5- उ0प्र0 में निवास करने का प्रमाण पत्रः-

6- कैलाश मानसरोवर की क्या प्रथम यात्रा है (हां या नहीं)

7- पहचान पत्रः-

स्थानः-

दिनांकः- **आवेदक का हस्ताक्षर**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in